

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line(Package-TW03) Under Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW)under phase=II part-D, through tariff based competitive bidding (TBCB) Route in District Mathura & Aligarh (Utter Pradesh)"

Proposal No. : FP/UP/TRANS/146255/2021

Date of Proposal : 25-08-2021

Diversion Area : 0.5293 Hectare

वन अधिकार अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित नियम 2012 के अन्तर्गत वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सीकर –II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) अलवर राजस्थान के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु जनपद मथुरा में अपर आगरा नहर मील-49 की दायीं और बायीं दोनों पटरियों की 0.5293 है० संरक्षित वनभूमि पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है एवं उक्त 765 के०वी० ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में वांछित वन भूमि हेतु सीकर –II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) अलवर द्वारा प्रत्यावर्तन प्रस्ताव किये गये है एवं वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृती उपरान्त उपलब्ध करवा दिया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्ण सहमति है।


के.के. चौधरी/K.K. Choudhary
वरिष्ठ महाप्रबंधक/Sr. GM
Sikar-II Aligarh Transmission Ltd.
100% Subsidiary of POWERGRID
अलवर/ALWAR
(कंचन कुमार चौधरी)
वरिष्ठ महाप्रबंधक

सीकर –II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
(पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) अलवर